

राजस्थान सरकार
राजस्थान (1959-8) विभाग

प्रपत्र (ग्री)

क्रमांक F 2 C 15 राज 8/8/ विज्ञापित

चूंकि हमारे कार्य संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा वंजर-भूमि में प्रस्ताव उस पर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उत्तम प्रभिलेखन राजस्थान अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञापित के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः प्रपत्र उपर्युक्त अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रस्तुत शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और वंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतद्वारा रक्षित वन कहाया जावेगा।

राजस्थान की आज्ञा से,

39 शासन सचिव

भूमि का विवरण

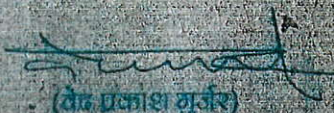
जिला	तहसील	वन-खण्ड	मोजा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

सीमा विवरण परिलिखित
(अ) संलग्न है

नागौर	पारधारा	संख्या	(1) चिह्नित	505.52
			(2) मुक्तिदा	575.3
			(3) आरक्षण	58.6
			(4) न्याय	626.18
			(5) वंजर	2130.43
			(6) वन	796.54

योग 4771.48 5

19.3 अंग्रेजी मील


(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर